भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 786
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ के कारण हानि

786 सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस वर्ष विभिन्न राज्यों में बाढ़ के कहर से जान-माल की भारी हानि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान हुई वर्षा को देखते हुए सरकार द्वारा भारी जलवृष्टि जल संचयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जल निकायों के अवैध अतिक्रमण के कारण जल संचयन में कमी का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और इससे वर्ष दर वर्ष बाढ़ की स्थिति में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क): केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ अवधि के समापन के पश्चात संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए बाढ से हुए नुकसान संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए आंकडों की अभी राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि की जानी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान बाढ के कारण हुए आर्थिक नुकसान का कोई समग्र बढ़ता रुझान नहीं दिखता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान (जिसमें वर्ष 2020 के अनुमानित आंकड़े भी शामिल हैं) बाढ/भारी वर्षा से हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण तथा प्रभावी प्रबंधन हेतु प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक करने के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 'कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स, वेन इट फाल्स' टैग लाईन के साथ 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' अभियान शुरू किया गया ताकि मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात अवधि के दौरान लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति तथा उपमृदा परत के उपयुक्त समुचित वर्षाजल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएचएस) का निर्माण करने के लिए राज्यों एवं हितधारकों को प्रोत्साहित किया जा सके। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जो कि अनुमानित लागत के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली बृहद योजना है। मास्टर योजना 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) के मानसून वर्षा का उपयोग करते हुए देश में लगभग 1.42 करोड वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना करती है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल प्रबंधन और विनयिमन स्कीम के अंतर्गत XIIवीं योजना के दौरान जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरूआत की है। जलभृत मैपिंग का लक्ष्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए जलभृत प्रकृति और उसकी विशिष्टताओं को रेखांकित करना है। प्रबंधन योजना को समुचित उपाय करने एवं इसके

कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित किए गए मॉडल भवन उप-कानून (एमबीबीएल) 2016 में वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है तथा इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एमबीबीएल 2016 के वर्षा जल संचयन के प्रावधानों को अपनाया जा चुका है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सूत्रबद्ध राष्ट्रीय जल नीति (2012) अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल के संरक्षण का भी समर्थन करती है तथा वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता के संवर्धन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से योजनाबद्ध नदी, जल निकायों एवं अवसंरचना के संरक्षण का भी समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, जल निकायों एवं ड्रेनेज चैनलों के अतिक्रमण और डायवर्जन को भी नहीं स्वीकार किया जा सकता है तथा जहां कहीं भी ऐसा हुआ हो इसे जहां तक संभव हो पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए और इसकी समुचित देख-रेख की जानी चाहिए।

(ग) और (घ): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिससे जल निकायों के गैर-कानूनी अतिक्रमण के कारण जल संचयन में गिरावट का पता चल सके जिसके कारण प्रतिवर्ष बाढ की स्थिति में वृद्धि हो रही है। हांलाकि, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का आवधिक आकलन किया जाता है। वर्ष 2020 में प्रकाशित नवीनतम आकलन देश के कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में कोई गिरावट नहीं दिखलाता है।

****

"बाढ़ के कारण हानि" विषय पर दिनांक 02.12.2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 786 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक- I

वर्ष 2016 से 2020 के दौरान बाढ/भारी वर्षा से हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण											
क्र.सं.	वर्ष	प्रभावित क्षेत्र	प्रभावित जनसंख्या	फसलों को नुकसान		मकानों को नुकसान		मवेशी को नुकसान	मानवीय जीवन को नुकसान	सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान	कुल नुकसान फसल, मकान, सार्वजनिक संपत्ति
				क्षेत्र	मूल्य		मूल्य				
		हे. मी. में	मिलियन में	हे. मी. में	करोड रूपए	संख्या	करोड रूपए	संख्या	संख्या	करोड रूपए	करोड रूपए
											(कॉलम6+8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2016	7.065	26.555	6.658	4052.723	278240	114.676	22367	1420	1507.926	**5675.325**
2	2017	6.076	47.342	4.972	8951.978	1252914	9384.018	26673	2063	12329.849	**30665.845**
3	2018	7.718	37.399	2.515	3708.187	913414	2508.656	60279	1839	12132.920	**21849.972**
4	2019	4.494	46.350	10.688	10902.347	656595	462.787	25852	2754	4498.393	**15863.526**
5	2020*	5.976	27.403	6.419	5625.295	236927	271.940	47463	1810	5459.000	**21189.235**

* - अनुमानत: